उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अधिहरण वाद संख्या–21/2023–24

सरकार

बनाम्

सुरेन्द्र टुडू

–: आदेश :–

दिनांक 29/8/23

सरकारी वकील एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

मामला गोड्डा मुफस्सिल (मोतिया ओ0पी0) थाना काण्ड संख्या–21/2023 दिनांक–05.02.2023 से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक गोड्डा ने अपने पत्रांक–2467/अप0शा0 दिनांक–30.05.2023 से धारा–379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत कांड में जप्त ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17Z-0501, टेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं तथा उस पर लदे बालू को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया है, जिसके आधार पर वर्तमान वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा का प्रतिवेदन है कि वर्तमान कांड वादी जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17Z-0501, टेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, के मालिक एवं चालक के विरूद्ध अवैध रूप से बालू की चोरी कर परिवहन करने में अंकित किया गया है एवं पर्यवेक्षणोपरांत प्रतिवेदन संख्या–02 में इस कांड को धारा–379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत प्राथमिकी अभियुक्त ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17Z-0501, टेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, के मालिक एवं चालक के विरूद्ध सत्य पाया गया है तथा काण्ड में जप्त ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17Z-0501, टेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, के मालिक सुरेन्द्र टुडू, पिता–शिवलाल टुडू, सा0–डहुपघार, पो0–नवडीहा, थाना–पोड़ैयाहाट, जिला–गोड्डा के रूप में सत्यापित हुआ है। पुलिस

अधीक्षक, गोड्डा ने कांड में जप्त ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17Z-0501, टेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं एवं उस पर बालू के विरूद्ध धारा–379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत राजसात करने के लिए अनुरोध किया है।

विपक्षी सुरेन्द्र टुडू की ओर से कारण–पृच्छा दाखिल किया गया है। विपक्षी का कथन है कि विपक्षी जप्त वाहन संख्या–JH17Z-0501 के मालिक है। विपक्षी किसी भी अपराधिक मामले में शामिल नहीं है। इसलिए विपक्षी का कोई भी अपराधिक मामला नहीं बनता है। वाहन जप्त होने के बाद वाहन के मालिक एवं चालक की ओर से माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड राँची में ए0बी0ए0 नं0–3293/2023 दायर किया गया था, जिसमें आदेश दिनांक–12.05.2023 के द्वारा अग्रिम जमानत दे दी गयी है। उनका आगे कहना है कि विपक्षी ने वित्तीय कम्पनी से ऋण लेकर वाहन का क्रय किया है और चूँकि थाना परिसर में जप्त करके वाहन को खुले स्थान में रखा गया है। वहाँ वाहन खराब होने की संभावना है एवं विपक्षी न्यायालय के सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार है। इसलिए जप्त वाहन को राजसात से मुक्त करने की कृपा की जाय।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि विपक्षी के विरूद्ध अवैध ढंग से बालू का परिवहन के कारण प्राथमिकी दर्ज किया गया है। विपक्षी की ओर से कारण–पृच्छा दाखिल किया गया है। लेकिन कारण–पृच्छा के साथ कोई भी कागजात दाखिल नहीं किया गया है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17Z-0501, टेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, के द्वारा अवैध ढंग से बालू का परिवहन किया जा रहा था। यह सरकारी सम्पति एवं राजस्व की चौरी का मामला बनता है। अतएव जप्त ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17Z-0501, टेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं एवं उसमें लदे बालू को राजसात किया जाता है। इसकी सूचना जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा, जिला परिवहन पदाधिकारी, गोड्डा एवं पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के साथ मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, गोड्डा को भी दें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.10.11 12:37:50 +05:30
Location: 192.168.1.38

29/08/23 उपायुक्त, गोड्डा।

29/08/23 उपायुक्त, गोड्डा।

Confiscation No. 21-2023-24